तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामिल दिनांक :- 21.05.2018 में जारी हुए

बाबुलाल **बनाम** रमेशकुमार वगेरह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र संख्या 44/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हु की तामिल में जारी
21.05.2018	प्रार्थी अनुपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। यह प्रार्थना पत्र बहस के लिये लम्बित होने से पत्रावली पर उपलब्ध जवाब एवं अभिलेखीय तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये निर्णित किया जाना हम उचित समझते है। प्रार्थी ने प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा देसूरी में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 278, 279, 280, 284 कुल रकबा 2.4900 हेक्टर भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक लगाय नौ के पिता टोयारामजी के विरासत में प्राप्त संयुक्त पेतृक खातेदारी की भूमि थी। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी एक लगाय नौ प्रत्येक का 1/10–1/10 हिस्सा पैतृक संयुक्त खातेदारी का विद्यमान था इसी प्रकार खसरा संख्या 281, 355, 356, 357, 358, 359 कुल रकबा 3.24 हेक्टर में भी उनके पिता से प्राप्त पैतृक आधिपत्य से 1/2 हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी एक लागाय नौ का 1/20–1/20 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 271 व 272 रकबा 0.05 हेक्टर में 1/4 हिस्सा टोयारामजी का होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक लगाय नौ का 1/40–1/40 हिस्सा विद्यमान था। मौखिक बंटवारे के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में रखी गई। अप्रार्थी संख्या 2 से 9 स्व. टोयाराम की पुत्रीया है व प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की सगी बहने है। जिनके द्वारा दिनांक 22.09.2017 को वादग्रस्त भूमि के हकतर्क के लेखीय पत्र के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को कर दिये गये। कानूनन संयुक्त खाते की भूमि में कोई भी सह खातेदार किसी दुसरे एक सह खातेदार के हक में अपना हक त्याग नहीं कर सकता अपितु सभी सह खातेदारों के पक्ष में त्याग कर सकता है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषणा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। जो प्रथम दृष्टया होने से प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि मे अपने हक अधिकार कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी 1 से 9 प्रत्येक का क्रमशः 1/10–1/10, 1/20–1/20 व 1/40–1/40 हिस्सा आता है एवं इसी अनुसार स्व. टोयाराम के देहान्त के बाद विरासत के ना.क. द्वारा अधिकार अभिलेखों में इन्द्राज दर्ज है। अप्रार्थी 2 से 9 द्वारा पंजीकृत विलेख हकतर्क दिनांक 22.09.2017 के द्वारा अपना–अपना हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में तर्क कर दिया है। उक्त पंजीकृत विलेख हकतर्क वर्तमान में अस्तित्व में है। जिसकी वैधानिकता को इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती न ही इस राजस्व न्यायालय को उक्त पंजीकृत हकतर्क पंजीकृत विलेख की वैधानिकता संबंधी जांच करने का अधिकार क्षेत्र हासिल है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। मूल वाद पत्रावली का भी अवलोकन किया राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 1143 में प्रार्थी तथा अप्रार्थी एक लगाय नौ का प्रत्येक का 1/10 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा खाता संख्या 1144 में प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक लगाय नौ प्रत्येक का 1/20 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 823 में स्थित बेरा व सडा में प्रार्थी व अप्रार्थी एक लगाय नौ प्रत्येक 1/40 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या दो लगाय आठ द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में दर्ज अपना–अपना हिस्सा कमशः 8/10, 8/20 व 8/40 जरिये पंजीकृत हकतर्क विलेख दिनांक 22.09.2017 अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में अंतरित कर दिया गया है। चूंकि अप्रार्थीगण दो लगाय आठ द्वारा अधिकार अभिलेखों में दर्ज हिस्सा पंजीकृत विलेख के द्वारा हस्तांतरित किया गया है तथा उक्त पंजीकृत विलेख दिनांक 22.09.2017 वर्तमान में अस्तित्व में है तथा उक्त पंजीकृत विलेख की वैधता को इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती एवं न ही इस न्यायालय को पंजीकृत विलेख के वैधता संबंधी जांच करने एवं विवेचन करने का क्षेत्राधिकार ही हासिल है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया नहीं है एवं न ही सुविधा का संतुलन व अपुर्णीय क्षति होना भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। आदेश आज दिनांक 21.05.2018 को केम्प कोर्ट देसूरी में सुनाया गया।

(राजेश सेवाडा)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी